झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0 पी0 (पी0आई0एल0) सं0–1247 वर्ष 2017

के साथ

आई0ए0 सं0 9724 वर्ष 2018

श्री सुधीर शर्मा, पे0 स्वर्गीय अस्मान शर्मा, निवासी ग्राम–फतुहडीह, डाकघर–चंदनकियारी (गलगल टांड़), थाना–चंदनकियारी, जिला–बोकारो, झारखण्ड–828134

..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने मुख्य सचिव, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–राँची के माध्यम से
2. भारत संघ, नई दिल्ली, डाकघर एवं थाना–नई दिल्ली, जिला–नई दिल्ली, मनरेगा आयुक्त, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगरनाथपुर, जिला–राँची
3. उपायुक्त, बोकारो डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड
4. उप विकास आयुक्त, बोकारो, डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड
5. अनुमण्डल अधिकारी, चास, बोकारो, डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड
6. प्रखण्ड विकास अधिकारी, चंदनकियारी, डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड
7. डाक अधीक्षक, बोकारो, डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड
8. सहायक डाक अधीक्षक, बोकारो, डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड
9. पोस्ट–सब–डिवीजन, बोकारो स्टील सिटी, डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड

10. डाकपाल, गलगलटांड़, डाकघर एवं थाना–बोकारो, जिला–बोकारो, झारखण्ड

..... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय मुख्य न्यायाधीश**

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटेल

याचिकाकर्त्ता के लिए :– मेसर्स आर0एन0 सहाय (वरिष्ठ अधिवक्ता), यशवर्धन,

उत्तरदाताओं के लिए :– एडवोकेट मेसर्स ए0जी0, जी0पी0–II

07/दिनांकः 02 नवंबर, 2018

अनिरूद्ध बोस, मु0 न्याया0

1. इस कार्यवाही में रिट याचिकाकर्ता की शिकायत, जिसे जनहित याचिका के रूप में तैयार किया गया है, यह है कि जिन मजदूरों ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम किया है और काम कर रहे हैं, उन्हें उनके बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ धोखेबाज फंड प्राप्त करने के लिए अपनी पासबुक का उपयोग कर रहे हैं।

2. इस तरह की जांच सीधे तौर पर रिट कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती। तद्नुसार हम रिट याचिका का निपटारा बोकारो के उपायुक्त को इस मामले की जांच करने का निर्देश देकर किया जाता है। रिट याचिकाकर्ता सभी संबंधित दस्तावेज, जिनमें रिट याचिका की प्रति शामिल होगी, बोकारो के उपायुक्त को उपलब्ध कराएगा और उपायुक्त,

बोकारो ऐसी जांच के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता प्राप्त करने का हकदार होंगे। यदि उसे इस प्रणाली में कोई खामी नजर आती है तो कानून के अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे। यह कार्य आदेश जारी होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

3. रिट याचिका का निपटारा उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. आई0ए0 संख्या 9724/2018 का भी निपटारा कर दिया गया है।

(अनिरूद्ध बोस, मु0 न्याया0)

(डी0एन0 पटेल, न्याया0)